"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2016—— आषाढ़ 22, शक 1938

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2008/14-1 (पार्ट). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाये.

2. (एक) अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (3) में, अंक "28" के स्थान पर, अंक "27" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (दो) अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	सहायक संचालक, स्थापना	1	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400"

3. (एक) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (4) में, अंक "28" के स्थान पर, अंक "27" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"7.		सहायक संचालक, स्थापना	1	-	100%	-"

4. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.		अधीक्षक	सहायक संचालक, स्थापना	5 वर्ष, स्नातक एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	तदैव"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 3-7/2008/14-1 (पार्ट) . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 7th July 2016

NOTIFICATION

No. F 3-7/2008/14-1 (Part). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Horticulture, (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.

2. (i) In column (3) of serial number 6 of Schedule-I, for the figure '28", the figure "27" shall be substituted.

(ii) After serial number 6 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	Assistant Director, Establishment	1	Class-II (Gazetted)	15600-39100 Grade Pay 5400".

3. (i) In column (4) of serial number 6 of Schedule-II, for the figure "28", the figure "27" shall be substituted.

(ii) After serial number 6 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"7.		Assistant Director, Establishment	1	-	100%	-"

4. After serial number 4 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.		Superintendent	Assistant Director, Establishment	5 Years, Graduation & Account Examination Passed	do"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.